राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प के लिए पत्रावली में
दिनांक ....13/8/17 नियत की गई।
अदालत/कैम्प
पत्रावली स्थगित दिनांक 24/8/17 को पेश हो।

आज्ञा से - उपखण्ड अधिकारी अटरू

24/8/17 वकीलवादी/प्रतिवादी उपस्थित आए।
पी.ओ. [illegible] गए हैं।
वास्ते ....लावी.... दिनांक 26/10/17 को पेश हो।

26/10/17 प्रार्थीगण पेश हुए, वकीलगण फरीकेन उपस्थित नहीं कक कक कर तीन बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है, पत्रावली बाद तामील एकमीन इफतर अधिवाद हो।

उप जिला कलक्टर
अटरू, जिला बारां (राज.)